

झारखण्ड सरकारकृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग)

२० राख (विभाग)

सं० सं०-म०नि०-II-उ०यो०- ५०/२०१७-१८/

/मत्स्य, राँची, दिनांक

२६/६/२०१९

प्रेषक,

पूजा सिंधल, भा० प्र० से०

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार

झारखण्ड, राँची ।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार\* ।

विषय-

चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० में मांग संख्या-५३-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के अंतर्गत कुल मो० २५१५.०९ लाख (पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश सं०-०३ रा० (विभाग) दिनांक ०३.०५.२०१८ तथा ऑन लाईन राज्यादेश सं० २८८, २८९ दिनांक ०३.०५.२०१८ के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष २०१९-२० में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं० ७६० के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो० २५१५.०९ लाख (पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है ।

2. इस योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जलाशयों के कुल १,२१,११७ हेक्टर जलक्षेत्रों में ४३७५ लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का *in-situ* संभावित उत्पादन एवं उन्हीं जलाशयों में संचयन करने, राज्य के जलाशयों में कुल ४१५ लाख मेजर कार्प तथा ५५ लाख ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करने, विभिन्न जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में ११०.०६ लाख पौर्णशेषस एवं अन्य उपर्युक्त बीज का संचयन, पुराने आर०एफ०एफ० हेतु इनपुट, ५० नये आर०एफ०एफ०, मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों के लिए १४० नाव जैसे अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा । तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II एवं III में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. अनुमानित स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-५३ कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-२४०५-मछली पालन अंतर्गत विभिन्न लघु शीर्षों के विभिन्न मदों में प्राप्त बजट उपबंध के अनुरूप किया जायेगा, जिसके लिये राज्य योजना में समुचित बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय प्राप्त है:-

माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)  
2405 मछली पालन-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध (लाख ₹ में)	स्वीकृत राशि (लाख ₹ में)
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन		
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500101060323	1244.76	1104.51
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S240500101060440	10.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S240500101060543	65.00	65.00
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड 53S240500101060759	11.00	11.00
		उप योग:	1330.76
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना		1180.51
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500789060323	278.56	272.93
		उप योग:	278.56
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना		
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500796060323	1090.94	983.91
	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियाँ/ईंधन-40 नई मोटरगाड़ी का क्रय विपत्र कोड 53S240500796060440	10.00	0.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) विपत्र कोड 53S240500796060543	63.74	63.74
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय विपत्र कोड 53S240500796060759	14.00	14.00
		उप योग:	1178.68
		कुल योग:	2788.00
			2515.09

कुल योग मो० 2515.09 लाख (पच्चीस करोड़ पंद्रह लाख नौ हजार) ₹ मात्र।

4. (क) इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट-I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

(ख) वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस योजना की सृजित देनदारियाँ जिनका भुगतान कर्तिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान, विधिवत जाँचेपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा और इसकी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(ग)

(ग)

(ग)

5. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो<sup>0</sup> 9000/- (नौ हजार) रु प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष-789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष-796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष-101 में उत्पादित बीज 890 लाख बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज हेतु मो<sup>0</sup> 10,000/- (दस हजार) रु प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो<sup>0</sup> 200.00 लाख (दो करोड़) रु का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्य किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्य करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत-प्रतिशत अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रूप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

6. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 375 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1500 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम् 550/-रु प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्य कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा।

हैचरी के संचालन हेतु स्थानीय समूह को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/-रु का फैक्टरी फॉर्मूलेटेड फीड दिया जायगा, साथ ही जाल आदि के क्य पर अधिकतम् 2000/-रु अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

7. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में *in-situ* मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम् मो<sup>0</sup> 800/- रु मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रूप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससम्य संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर०एफ०एफ० में फ्राई हेतु संलग्न परिशिष्ठों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशयों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्य जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ड०) नये आर०एफ०एफ० के लिए प्रति चालीस मी० गुणा पाँच मी० के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो<sup>0</sup> 86000/-रु अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

8. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निर्बंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका

मंत्रि

न्यू

द्वारा

के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

9. (क) पंगेशियस बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्षय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर “इच्छा की अभिव्यक्ति” आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं *in-situ* बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स/विडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्षय किये जायेंगे।

(घ) विगत वर्ष की भाँति ही समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले नाव की अनुमानित इकाई लागत तैतीस हजार रु० होगी जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् तीस हजार रु० प्रति नाव होगी। शेष राशि मत्स्यजीवी सहयोग समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(ङ.) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत तैतीस हजार रु० है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् पच्चीस हजार रु० की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा।

(च) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(छ) उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे।

10. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड़ा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसौवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूँटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी I, II एवं III के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

15. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।


१५५

१२

४७

26/9/19

16. वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायगा।
17. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
18. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत बजट उपबंध मो0 3200.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 2752.83 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।
19. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
20. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जाता है।
21. यह पूर्णतः राज्य योजना है।
22. स्वीकृत्यादेश प्राप्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
23. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन  
  
 (पूजा सिंघल)  
 25/6/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक २०२०(विभाग)  
 मत्स्य / रॉची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 25/6/19  
 सरकार के सचिव


ज्ञापांक २०२०(विभाग)  
 मत्स्य / रॉची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 25/6/19  
 सरकार के सचिव


ज्ञापांक २०२०(विभाग)  
 मत्स्य / रॉची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, रॉची/आ० वि० सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
 25/6/19  
 सरकार के सचिव

ज्ञापांक २०२०(विभाग)  
 मत्स्य / रॉची, दिनांक २५/६/२०१९

प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, रॉची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
 25/6/19  
 सरकार के सचिव

पारिशोध्दम - 1

नितीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (भत्त्य प्रभाग) – मुख्य शीर्ष – 2405-मठरी पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय भत्त्य का विकास एवं नीरोद्धार योजना अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	ट्रिभुवन शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री										पोरा		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	विभागीय गत्त्य बीज वित्तीय का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	हजारबाहु	रामगढ़	कोडसा	चतरा	बाकारो	मिरिदीह	धनबाद	गोडाडा	पलामू	गढ़वा	देवधर		
2	विभागीय गत्त्य बीज वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	120	70	60	80	150	80	80	60	50	50	90	890	
3	मत्त्य बीज उत्पादनों की सञ्चया का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	10.80	6.30	5.40	7.20	13.50	7.20	7.20	5.40	4.50	4.50	8.10	80.10	
4	मत्त्य बीज उत्पादनों को इन्हुन्हीं फौटूटेड फौटूट लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	400	280	280	310	360	250	340	280	340	300	360	3500	
5	मत्त्य बीज उत्पादनों को सौन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	8000	5600	5600	6200	7200	5000	5800	5600	6800	6000	7200	70000	
6	मत्त्य बीज उत्पादनों को सौन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	39.6	27.72	27.72	30.69	35.64	24.75	33.66	27.72	33.66	29.7	35.64	346.50	
7	पट्टेवत हैचरी से मत्त्य स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (स० करोड़ मे)	9	5	6	4	7	6	7	5	4	3	8	64	
8	पट्टेवत हैचरी से स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	3.60	2.00	2.40	1.60	2.80	2.40	2.80	2.00	1.60	1.20	3.20	25.60	
9	विभागीय हैरी का उत्पादन एवं स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	4	3	0	0	4	0	2	0	2	2	4	21	
10	विभागीय हैरी का उत्पादन एवं स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	1.60	1.20	0.00	0.00	1.60	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	1.60	8.40	
11	जलाशय के क्षेत्र (मि-डॉम) में भर्त्य स्थान के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (स० लाख मे)	3800	2400	1000	2500	700	2000	800	1000	500	1800	17500		
12	जलाशय के क्षेत्र (मि-डॉम) में भर्त्य स्थान के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	30.40	8.00	19.20	8.00	20.00	5.60	16.00	6.40	8.00	4.00	14.40	140.00	
13	जलाशय में मोर कार्य मत्त्य अनुप्रतिकाङ्कों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	32	12	24	12	27	10	20	10	12	10	16	185	
14	जलाशय में मोर कार्य मत्त्य अनुप्रतिकाङ्कों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	24	9	18	9	20.25	7.5	15	7.5	9	7.5	12	138.75	
15	जलाशय में गोरे कार्य मत्त्य अनुप्रतिकाङ्कों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	5	2	4	2	4	2	3	2	2	2	2	30	
16	जलाशय में ग्राम कार्य मत्त्य अनुप्रतिकाङ्कों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	7.50	3.00	6.00	3.00	6.00	3.00	4.50	3.00	3.00	3.00	3.00	45.00	
17	वर्ष 2017-18 तक पुराने क्षेत्रों में गोरोपयम/अन्य उत्पादन (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	9.80	5.60	13.30	2.10	12.60	2.10	5.60	2.10	0.00	0.00	6.37	59.57	
18	वर्ष 2017-18 तक पुराने क्षेत्रों में गोरोपयम/अन्य उत्पादन (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	14.70	8.40	19.95	3.15	18.90	3.15	8.40	3.15	0.00	0.00	9.56	89.36	
19	पुराने विरासई क्षेत्र फार्मिंग/ओपोन एवं या कार्मिंग का इन्हुन्हीं का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	30	20	25	14	25	14	22	10	10	20	20		
20	पुराने विरासई क्षेत्र फार्मिंग/ओपोन एवं या कार्मिंग का इन्हुन्हीं का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	7.50	5.00	6.25	3.50	6.25	3.50	5.50	2.50	2.50	5.00	50.00		
21	नये विरासई क्षेत्र फार्मिंग/ओपोन एवं या कार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	8	5	0	0	5	0	7	0	0	0	5	30	
22	नये विरासई क्षेत्र फार्मिंग/ओपोन एवं या कार्मिंग के निम्नांकित दीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	6.88	4.30	0.00	0.00	4.30	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00	4.30	25.80	
23	माझीसांस समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	8	5	8	3	5	3	5	2	3	2	6	50	
24	नाझीसांस समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	2.40	1.50	2.40	0.90	1.50	0.90	1.50	0.60	0.90	0.60	1.80	15.00	
रुप धोग (वित्तीय लक्ष्य)		164.98	87.62	118.52	79.44	145.14	68.00	114.98	69.47	77.56	65.80	113.00	1104.51	
विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43-जनुसारण मरम्मति पांच सुसंरचीकरण (सामग्री)		5.00	3.00	0.00	3.00	2.00	3.00	3.00	1.00	4.00	30.00			
25	कार्यालयों/झेंडों के अनुसारण मरम्मति पांच सुसंरचीकरण (सामग्री) (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	15	15	30	0	30	0	20	10	0	20	140		
26	कोंडे रिपोर्टोरी का भौतिक लक्ष्य (स० मे)	3.75	3.75	7.50	0.00	7.50	0.00	5.00	2.50	0.00	5.00	35.00		
27	कोंडे रिपोर्टोरी का वित्तीय लक्ष्य (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	8.75	6.75	7.50	3.00	10.50	2.00	8.00	5.50	3.00	1.00	9.00	65.00	
विस्तृत शीर्ष-07-वाच्य व्यय-59-वाच्य व्यय		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11.00		
28	परियोजना कार्यालयन हेतु आवासीयमका व्यय (राष्ट्रीय लाख ५० मे)	कुल धोग (वित्तीय लक्ष्य)	174.73	95.37	127.02	83.44	156.64	71.00	123.98	75.97	81.56	67.80	123.00	1180.51

वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संस्था—53—कृषि, पशुपालन एवं चहकारिया विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष-2405—मञ्चली पालन-लघु शीर्ष-796—जनजातीय क्षेत्र उपयोजना—उप शीर्ष-06—तालाब तथा

परिशिष्ट – II

जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीणोंकार योजना अंतर्गत जिलामर मीतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.	कार्य	विद्युत शीर्ष-03-प्रारम्भिक वर्ष-23-आपूर्ति एवं सामग्री													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भीतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	120	50	290	95	55	65	105	90	60	100	50	60	60	110
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रुपा मे)	10.80	4.50	26.10	8.55	4.95	5.85	9.45	8.10	5.40	9.00	4.50	5.40	5.40	9.90
3	मत्स्य बीज उत्पादकों को सहाय्य का भीतिक लक्ष्य (स० मे)	340	130	250	190	180	250	310	250	340	250	180	160	170	3000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपॉर्ट (फॉरेंटलेट) कोड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ३० मे)	13.60	5.20	10.00	7.60	7.20	10.00	12.40	10.00	13.60	10.00	7.20	6.40	6.80	0.00
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पैन आपूर्ति का भीतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	6800	2600	5000	3800	3600	5000	6000	4500	7500	5000	3600	3200	3400	0
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पैन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	33.66	12.87	24.75	18.81	17.82	24.75	29.7	22.275	37.125	24.75	17.82	15.84	16.83	0
7	पार्टेल हैंड्री से स्पैन उत्पादन का भीतिक लक्ष्य (स० करोड़ मे)	7	3	4	4	4	4	7	4	8	4	4	4	4	60
8	पार्टेल हैंड्री से स्पैन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	2.80	1.20	1.20	1.60	1.60	1.60	2.80	1.60	3.20	1.60	1.60	1.60	1.60	24.00
9	विभागीय बहुदो का स्वतंत्रत्व एवं स्पैन उत्पादन का भीतिक लक्ष्य (स० करोड़ मे)	5	0	5	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	30
10	विभागीय हैंड्रो का स्वतंत्रत्व एवं स्पैन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख १०० मे)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	12.00
11	जलाशय के छाड़न (In-Situ) में मत्स्य स्पैन का भीतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	1800	600	800	400	700	400	3900	700	800	500	400	0	12500	
12	जलाशय के छाड़न (In-Situ) में मत्स्य स्पैन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	14.40	4.80	6.40	3.20	5.60	3.20	31.20	5.60	6.40	4.00	3.20	0.00	100.00	
13	जलाशय में स्पैन कार्य मत्स्य अनुक्रमिकों का संचयन का भीतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	32	12	12	12	10	10	16	5	35	16	5	0	5	170
14	जलाशय में स्पैन कार्य मत्स्य अनुक्रमिकों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	24.00	9.00	9.00	9.00	7.50	7.50	12.00	3.75	26.25	12.00	3.75	0.00	3.75	0.00
15	जलाशय में ग्राही कार्य मत्स्य अनुक्रमिकों का संचयन का भीतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	3	1	1	1	1	1	2	1	6	2	0	0	1	20
16	जलाशय में ग्राही कार्य मत्स्य अनुक्रमिकों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	4.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	1.50	9.00	3.00	0.00	0.00	1.50	0.00
17	वर्ष 2017-18 तक पुनर्न केजों में पारिवर्त्य/अन्य उत्पादन बीजों का संचयन का भीतिक लक्ष्य (स० लाख मे)	3.64	1.12	1.54	1.54	2.52	0	3.64	0	23.9	3.85	1.12	0	0	42.87
18	वर्ष 2017-18 तक पुनर्न केजों में पारिवर्त्य/अन्य उत्पादन बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (स० लाख मे)	5.46	1.68	2.31	2.31	3.78	0.00	5.46	0.00	35.85	5.78	1.68	0.00	0.00	64.31
19	पुनर्न रिवर्टन नियम वालों/अपेन वर्गीय वालों का वित्तीय लक्ष्य (स० मे)	30	8	14	14	10	14	20	12	40	10	10	8	0	200
20	पुनर्न रिवर्टन नियम वालों/अपेन वर्गीय वालों का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	7.50	2.00	3.50	3.50	2.50	3.50	5.00	3.00	10.00	2.50	2.50	2.50	2.50	50.00
21	नये रिवर्टन नियम वालों/अपेन वर्गीय वालों के वित्तीय लक्ष्य (स० मे)	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	20
22	नये रिवर्टन नियम वालों/अपेन वर्गीय वालों का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ५० मे)	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20
23	मध्यांतर समितियों/सदस्यों के लिये नव कार्यालय (स० मे)	9	5	5	5	5	5	2	16	8	5	8	2	0	80
24	मध्यांतर समितियों/सदस्यों के लिये नव कार्यालय (राशि लाख ५० मे)	2.70	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	0.60	4.80	2.40	1.50	2.40	0.60	0.00	24.00
ख	रिवर्ट शीर्ष-05-नियम-43-अन्यस्थान, मरम्मति एवं उपसंज्ञकरण (मामगी) (राशि लाख ५० मे)	125.72	44.25	92.56	60.77	51.55	63.00	92.41	55.23	180.73	77.83	48.15	38.14	41.68	11.90
25	कार्यालयों/प्रस्त्रों के अनुस्थान, मरम्मति एवं उपसंज्ञकरण (मामगी) (राशि लाख ५० मे)	15.74	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	3.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	35.74
26	केज रियोसी का भीतिक लक्ष्य (स० मे)	20	0	0	8	10	0	0	0	54	10	0	0	0	112
27	केज रियोसी का वित्तीय लक्ष्य (स० मे)	5.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13.50	2.50	0.00	0.00	0.00	28.00
ग	परियोजना कार्यालयन हेतु अलगभित्तिया व्यय (राशि लाख ५० मे)	20.74	1.00	1.00	3.50	1.00	2.00	2.00	16.50	4.50	3.50	2.00	2.00	1.00	63.74
28	परियोजना कार्यालयन हेतु अलगभित्तिया व्यय (राशि लाख ५० मे)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00
		कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	147.46	46.25	94.56	64.77	56.05	65.00	95.41	58.23	83.33	52.65	41.14	44.58	12.90
															1061.65

(संतुष्टि के साथ)

२८

266

प्रितीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-53-के प्रि. पश्चिमतन एवं सहकारिता विभाग (मर्टस्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष 2405-मध्ये पालन-लघु शीर्ष-789-अंग्रेजी जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मर्टस्य का विकास योजना एवं जीर्णदार के अतिरिक्त जलालय भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

**परिशोध - III**